राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांक :–स.3–16(4)विविध/स्था/अभि/19/16336-86

दिनांक:–04/12/19

–: परिपत्र :–

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन से पूर्व समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन कार्यरत पात्र कार्मिकों को दिये गये दण्डों के आदेशों, विभागीय जांच में दिये गये आरोप पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ, न्यायालय में विचाराधीन फौजदारी प्रकरणों की पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में, दिनांक 01.06.2002 से पूर्व एवं पश्चात संतानों की संख्या मय सम्बन्धित कार्मिक का हलफनामा इत्यादी बाबत सूचना कार्यालय रिकार्ड तथा मेडिकल बिल आदि से बिना सत्यापन किये ही अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों से प्राप्त सूचना को ही निदेशालय में अग्रेषित कर देते है, जो उचित नही है। उप/सहायक निदेशक अभियोजन संभाग/जिला स्तर पर विधि विज्ञ अधिकारी है।

अतः समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन से पूर्व सम्बन्धित कार्मिकों के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाओं की जांच/परीक्षण करके तथा कार्मिक से प्राप्त सूचनाओं को कार्यालय रिकोर्ड से सत्यापित कर तद्पश्चात ही निदेशालय भिजवावें। परिपत्र की कडाई से पालना की जावे। अपूर्ण सूचना भिजवाने वाले अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
3. संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त/सहायक प्रशासनिक अधिकारी
4. रक्षित पत्रावली।

04/12/19

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।